न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 03/2019

1 रामजीलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी छऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 पूर्णमल पुत्र हरफुल जाति जाट।
2 शकुन्तला पत्नी मनोहरलाल जाति ब्राहम्ण।
3 सन्तोष पत्नी मदनलाल जाति ब्राहम्ण।
4 प्रमोद पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण।
5 प्रदीप पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण।
6 नरेश पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण छऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 प्रमीला पुत्री मदनलाल स्त्री विजय कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी डुमरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8 रणजीत पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी छऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
9 कमला पुत्री नेतराम स्त्री पूरणमल जाति जाट निवासी कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
10 बिमला पुत्री नेतराम स्त्री रामेश्वर जाति जाट।
11 मुन्नी पुत्री नेतराम स्त्री ख्यालीराम जाति जाट।
12 किस्तुरी स्त्री रामलाल जाति जाट।
13 भंवरसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट।
14 भवानीसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी (stamp)

15 महावीर पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासीगण छऊ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
16 नायब तहसीलदार उप तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुंझुनू।
17 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.12.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी पूर्णमल बनाम शकुन्तला वगैरह मुकदमा नम्बर 212/2017 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 06.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 212/2017 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में आवेदक ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 (क) रा. का. अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम छऊ की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 16 अवस्थित है। ग्राम छऊ की सरहद में ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि खसरा नम्बर 112 जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 तथा खसरा नम्बर 13, 14, 15 जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 13 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 16 में आवागमन के लिए एक मात्र रास्ता भूमि खसरा नम्बर 112, 13, 14, 15 में से होकर आता है। जो सलंग्न मानचित्र में निशानात ए बी सी बिन्दु से दर्शित किया गया है। उक्त रास्ते की चौड़ाई 12 फुट है। खसरा नम्बर 112 के दक्षिणी दिशा में गोरव पथ सड़क आती है। जो आगे ग्राम अजाड़ीकलां जाति है। संलग्न मानचित्र को प्रार्थना पत्र का अभिन्न हिस्सा समझा जावे। प्रार्थी उक्त दर्शित रास्ते का उपयोग करते है। उक्त दर्शित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण अप्रार्थीण रास्ते में व्यवधान कारित करते रहते है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे लघुतम दूरी का रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अंत में निवेदन किया है कि ग्राम छऊ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 16 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 112, 13, 14, 15 में प्रार्थना पत्र के संलग्न मानचित्र में दर्शित निशानात ए बी सी बिन्दु तक 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करें। विचारण न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि दिया गया रास्ता मौके पर कदीमी रूप से चालू है केवल राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। अपने प्रार्थना पत्र से प्रार्थी ने इस रास्ते को 12 फीट चौड़ा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन का अनुतोष चाहा है। विधि अनुसार प्रार्थी का आवेदन धारा 251 ए की परिधि में नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं था। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विधि विरूद्ध रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत पारित निर्णय का है। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में यह परीक्षण किया जाना है कि विचारण न्यायायल द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के नियम 68 से 71 की पालना सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018 में निकटतम रास्ते की रिपोर्ट दी गई है। दिनांक 24.10.2018 को अपीलांट के आवेदन पर पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौके पर जाकर फर्द मौका बनाया गया है। इसके उपरान्त विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत पारित निर्णय का है। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में यह परीक्षण किया जाना है कि विचारण न्यायायल द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के नियम 68 से 71 की पालना सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018 में निकटतम रास्ते की रिपोर्ट दी गई है। दिनांक 24.10.2018 को अपीलांट के आवेदन पर पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौके पर जाकर फर्द मौका बनाया गया है। इसके उपरान्त विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प सुजानगढ़)

न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर